राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाश बनाम शंकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	907/2016	
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी व रेस्पो. संख्या 3 व 4 ने आपस में मिलकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर पत्रावली न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कुथाडा खुर्द में नियत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2016 पारित करते उभयपक्ष विवादित आराजी सरहद मौका कुथाडा खुर्द में स्थित गत खसरा नम्बर 114 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के पड़ोसी प्रतिवादीगण शंकर वगैरह की खातेदारी खसरा नम्बर 77 रकबा 9 बिस्वा दोनों खसरो के मध्य सीमा विवाद के सम्बन्ध में राजीनामा होने से सीमाज्ञान हेतु सहमत होना धारित करते हुये जरिये राजीनामा उभयपक्षों की भूमियो के सीमाज्ञान करने हेतु टीम गठित कर सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार बस्सी को निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2016 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान में की गयी समझाईश एवं उभयपक्ष द्वारा व्यक्त की गयी सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये उभयपक्षों की भूमियो के सीमाज्ञान करने हेतु टीमगठित कर सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार बस्सी को उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करने हेतु आदेश प्रदान किये गये, ताकि पक्षकारान में कोई विवाद शेष नही रहे। ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है। अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ एवं प्रक्रियात्मक त्रुटी को दर्शित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गयी है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2016 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	